


राजस्थान सरकार वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर





क्रमांक : एफ18(63)एफसीए/ उवसं-अल./2021/5 (53

प्रेषिति:-

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भ:- Proposal No.: FP/RJ/ROAD/41266/2019 के संबंध में।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन.एच. 8 पर चैनेज km. 115.00 to km. 116 के बीच टॉल प्लाजा निर्माण हेतु एन.एच. 8 के ROW में घोषित रक्षित वन भूमि पर इस वनमण्डल अधीन 2.852 है0 वन भूमि का प्रत्त्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में उच्च कार्यालय से ऑनलाईन EDS

- 1. There is violation in the proposal, so what action was taken against the concerned
- 2. Calculation of penal NPV has to be taken.
- 3. Ca scheme / estimate should be given site specific.

अतः उक्त प्रस्ताव में प्राप्त ऑनलाईन EDS के बिन्दु 1 की पूर्ती करते हुए इस कार्यालय को भिजवायें ताकि प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भेजा जा सके।

> भवदीय उप वन सरंक्षक अलवर

F:\my\fca \Letter fca312